भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2625

(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की उपलब्धता

2625. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
श्री चिन्तामणि महाराज:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत निर्माण कार्य में तीव्रता लाने के लिए प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्रियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या किसी अभ्यर्थी को पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो राजस्थान सहित राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) जी हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गुणवत्तापूर्ण पीएमएवाई-जी आवासों के निर्माण के लिए कुशल राजमिस्त्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक कुशल कार्यबल की उपलब्धता की दिशा में भी योगदान देती है और ग्रामीण कार्यबल के लिए आजीविका के अवसरों की सुविधा प्रदान करती है। पर्याप्त संख्या में राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ पीएमएवाई-जी के तहत आरएमटी कार्यक्रम को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से शुरू किया गया है। दिनांक 09.12.2025 की स्थिति के अनुसार, आरएमटी कार्यक्रम के तहत **3,81,986** अभ्यर्थियों को नामांकित

किया गया है, जिनमें से **3,08,330** को प्रमाणित किया गया है, और इसके परिणामस्वरूप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पीएमएवाई-जी के तहत निर्माण की बेहतर समयबद्धता और गुणवत्ता की सूचना दी है।

ऑन-साइट प्रशिक्षण मॉडल के अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 से एक समानांतर आरएमटी पहल शुरू की गई है ताकि पहुंच को व्यापक बनाया जा सके और आजीविका के अवसरों को मजबूत किया जा सके। आरएसईटीआई मॉडल मानकीकृत पाठ्यक्रम और व्यावहारिक ज्ञान के साथ एक संरचित प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करता है, जिससे राजमिस्त्री कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जाता है और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय रोजगार तक पहुंच में सुधार होता है। इस पहल के माध्यम से कुल 8,048 अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया है।

(ख) 9 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार नामांकित और प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्रियों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I** में देखी जा सकती है।

(ग) और (घ) जी हां। पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से आरएमटी कार्यक्रम के तहत प्रमाणित ग्रामीण राजमिस्त्रियों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-II** में देखी जा सकती है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2625 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्त वर्ष 25-26 से आरएसईटीआई के माध्यम से और योजना की शुरुआत से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र.सं.	**राज्य**	**नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या**	**प्रमाणित अभ्यर्थियों की संख्या***	**वित्त वर्ष 25-26 से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के माध्यम से प्रमाणित आरएसईटीआई अभ्यर्थी #**
1	असम	12,914	11,819	207
2	बिहार	15,903	14,139	-
3	छत्तीसगढ़	40,918	32,767	3477
4	गुजरात	8,259	7,363	-
5	हरियाणा	60	55	35
6	हिमाचल प्रदेश	434	352	-
7	जम्मू और कश्मीर	2,933	2,494	-
8	झारखंड	42,161	34,483	115
9	कर्नाटक	11,993	9,856	-
10	केरल	42	34	-
11	मध्य प्रदेश	49,435	31,206	2044
12	महाराष्ट्र	51,556	44,324	33
13	मणिपुर	-	-	89
14	मेघालय	1,146	748	12
15	मिजोरम	46	32	93

16	नागालैंड	-	-	26
17	ओडिशा	33,092	26,349	186
18	राजस्थान	20,496	17,500	-
19	त्रिपुरा	220	182	122
20	उत्तर प्रदेश	56,433	47,888	31
21	उत्तराखंड	537	484	
22	पश्चिम बंगाल	33,408	26,255	
23	तमिलनाडु	-	-	1558
24	अंडमान और निकोबार	-	-	20
	कुल योग	3,81,986	3,08,330	8,048

* दिनांक*09.12.2025 की स्थिति के अनुसार आरएमटी और दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार आरएसईटीआई का डेटा#*

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2625 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण में प्रारंभ से लेकर पूर्व शिक्षा मान्यता (आरपीएल) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र.सं	राज्य	नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या	प्रमाणित अभ्यर्थियों की संख्या
1	असम	11,218	10,335
2	बिहार	15	12
3	गुजरात	3,248	2,916
4	हिमाचल प्रदेश	434	352
5	झारखंड	16,117	11,873
6	केरल	22	18
7	महाराष्ट्र	749	608
8	ओडिशा	16,466	12,756
9	राजस्थान	1,107	799
10	उत्तर प्रदेश	27,576	22,134
11	उत्तराखंड	510	459
12	पश्चिम बंगाल	22,775	17,303
	कुल योग	1,00,237	79,565

09.12.2025 तक की स्थिति

*****